पत्र संख्या-स्था-1-चल-अचल सम्पत्ति/2024-25/ 486 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ//दिनांक- 22/05 /2024

समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1/ग्रेड-2, राज्य कर उत्तर प्रदेश/अपर निदेशक, राज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
समस्त संयुक्त आयुक्त/ उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश।
समस्त राज्य कर अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
समस्त संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/ सांख्यिकीय अधिकारी/
अपर सांख्यिकीय अधिकारी, राज्य कर उत्तर प्रदेश।

कृपया शासन के कार्मिक अनुभाग-1 पत्र संख्या-9/1/1973-कार्मिक-1, दिनांक 24.10.1978 तथा पत्र संख्या-13/18/1985-कार्मिक-1, दिनांक 15.07.1985 के क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-11 दिनांक 02.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुख्यालय के पत्र संख्या-295 दिनांक 30.04.2024 से वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियो के वित्तीय वर्ष 2023-24 से सम्बन्धित चल-अचल सम्पत्ति की घोषणा दिनांक 15.05.2024 तक आनलाईन फीड करने के निर्देश निर्गत किए गये हैं।

उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग-5 के पत्र संख्या-63/सैतालिस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24.02.2024 के प्रस्तर-5 के बिन्दु-1 में समूह क व ख के अधिकारियों द्वारा स्वमूल्यांकन आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 30 जून निर्धारित की गयी है, प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना-अपना मन्तव्य अंकित किये जाने की तिथि क्रमशः 31 अगस्त, 31 अक्टूबर तथा 31 दिसंबर निर्धारित की गयी है। **वर्ष 2023-24 में 31 दिसंबर के बाद स्वमूल्यांकन आख्या तथा प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था कालबाधित (closed) होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।**

अतः उक्त के दृष्टिगत वर्ष 2023-24 से संबंधित चल-अचल सम्पत्ति विवरण को ऑनलाईन फीड किये जाने हेतु एक और अवसर प्रदान करते हुए अंतिम तिथि दिनांक 31.05.2024 निर्धारित की जाती है।

यह पत्र आयुक्त राज्य कर महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(श्याम प्रसाद)
संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0)
राज्य कर मुख्यालय।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1-संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने एवं विवरण फीडिंग किये जाने सम्बन्धी पोर्टल खोले जाने हेतु।
2-कम्पयूटर आपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग।

संयुक्त आयुक्त (स्था0राज0)
राज्य कर मुख्यालय।